

सेवा में

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

विषय:- RTI ACT-2005 के तहत सूचना हेतु ।

* शुल्क का विवरण:- IPON No:- 82E 828243

दिनांक :- 05.01.2012

शशि :- 10:00

RTI CALL

(1) Received on 22367 2012
Case No. 2012/28
Date 10

12/12/2011 श्री जी,

मुझे निम्नलिखित सूचनाएँ चाहिए:-

- (1) अगर कोई लोकल पायलट या सहा. लोकल पायलट रात के 02:00 बजे अपने इञ्चोटी से ऑफ होना है और वह उसी Date में इञ्चोटी पर आने में असमर्थ हो जाता है, तब क्या कर्मचारी को उसी Date में अनुपस्थित (Absent) किया जा सकता है जिन Date में कर्मचारी ने इञ्चोटी किया है? संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों उपलब्ध करावे।
- (2) अगर किसी लोकल पायलट या सहायक लोकल पायलट का विराम पूरा [Rest-up] दिन के 13/00 बजे हो रहा है और उसे आले दिन से अवकाश पर जाना है, तब कर्मचारी की अवकाश की गणना कब से की जाएगी? संबंधित प्रमाणित दस्तावेजों उपलब्ध करावे।
- (3) अगर किसी लोकल पायलट या सहा. लोकल पायलट को सप्ताहिक विराम अपने निर्धारित समय पर नहीं मिल पाता है, तब कर्मचारी दो रैस्ट एक साथ कितने दिनों के बाद बुक कर सकता है? और वह एक साथ कुल कितना रैस्ट ले सकता है। संबंधित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे।
- (4) अगर कोई लोकल पायलट या सहा. लोकल पायलट अपने इञ्चोटी से ऑफ होना है और कर्मचारी 30 घंटे का विराम बुक करता है, तब कर्मचारी को केवल 30 घंटे का विराम मिलेगा या मुख्यालय विराम (Due Rest) + 30 घंटे का विराम मिलेगा? संबंधित प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करावे।

वांछित सूचना का माह्वम :- पत्राचार द्वारा निम्न पता पर

संजीव कुमार

S/O - श्री अजीत कुमार सिंह
ग्राम-पीठ - विशुनपुर बन्दे
गाँव - बगवानपुर
जिला - वैशाली [बिहार]
पिन - 844114

मार्ग

संजीव कुमार
S/O - श्री अजीत कुमार सिंह
दिनांक - 16.01.2012